उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1
संख्याः 3/338/22-1-2018-107/99
लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2018
कार्यालय-ज्ञाप

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/- (यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रू0 56,100-1,77,500) में कार्यरत निम्नलिखित अधीक्षकों को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-1, वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 6600/-(यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, रू0 67,700-2,08,700) में श्री राज्यपाल प्रोन्नति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

क्र0	नाम
1	श्री शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय
2	श्री प्रेमनाथ पाण्डेय
3	श्री रामधनी

2- उक्त के अतिरिक्त विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 28.09.2015 की संस्तुति के क्रम में आदेश दिनांक 04.11.2015 द्वारा काम चलाऊ रूप से स्थानापन्न वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत श्री संतलाल को अधीक्षक कारागार के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3/338(1)/22-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रोन्नति/विज्ञप्ति से सम्बन्धित अधिकारी को अवगत कराते हुए उनका कार्यभार प्रमाणक भरवाकर हस्ताक्षर सहित संगत प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in